



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092024-256848
CG-DL-E-02092024-256848

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3401]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2024/भाद्र 11, 1946

No. 3401]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2024/BHADRA 11, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2024

का.आ. 3731(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यह समाधान हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य के धाराशिव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 652 के 00+000 कि.मी. से 30+982 कि.मी तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन पेव्हाड शोल्डर का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त विवरण अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्चन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 (ग) की उपधारा (1) के आधि पूर्वोक्त प्रयोजन की तारीख से इक्कीस दिन (21) के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप समक्ष प्रधिकारी अर्थात् उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मध्यम प्रकल्प क्र.2 धाराशिव. को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपाकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधी व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपो को अनुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अमित होगा; और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी, के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में धाराशिव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 652 के 00+000 कि.मी. से 30+982 तक के भुखंड (तुळजापूर से अक्कलकोट खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संख्या रहित अथवा संरचना भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: धाराशिव (उस्मानाबाद)		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: तुळजापूर					
गांव का नाम: तुळजापूर					
1	195	निजी	जिरायत	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
2	202	निजी	जिरायत	0.115 (हेक्टेयर)	0.115
गांव का नाम: हंगरगा तुळ					
3	52	निजी	जिरायत	0.084 (हेक्टेयर)	0.084
गांव का नाम: तिर्थ बुद्रूक					
4	18	निजी	जिरायत	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
5	322	निजी	जिरायत	0.056 (हेक्टेयर)	0.056
गांव का नाम: देवसिंगा तुळ					
6	115	निजी	जिरायत	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
7	116	निजी	जिरायत	0.075 (हेक्टेयर)	0.075
8	174	निजी	जिरायत	0.234 (हेक्टेयर)	0.234
9	175	निजी	जिरायत	0.181 (हेक्टेयर)	0.181
10	179	निजी	जिरायत	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
11	181	निजी	जिरायत	0.086 (हेक्टेयर)	0.086

गांव का नाम: बसवंतवाडी					
12	121	निजी	जिरायत	0.072 (हेक्टेयर)	0.072
गांव का नाम: चिवरी					
13	210	निजी	जिरायत	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
14	211	निजी	जिरायत	0.029 (हेक्टेयर)	0.029
कुल योग					1.183

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/55/3A]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2024

S.O. 3731(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (here in after referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required **for building (widening of 2/4 lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 652 in the stretch of land from Km. 00+000 to Km. 30+982 of Tuljapur to Akkalkot of National Highway No 652 in the district of Dharashiv in the State of Maharashtra** Hereby declares its intention to acquire land.

Any person interested in the said lands may, within twenty-one (21) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to **the competent authority, namely, Dy. Collector Land Acquisition M.P. No.2 Dharashiv** in the state of Maharashtra, in writing and shall set out the grounds there of and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the Land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 00+000to Km. 30+982 of National Highway No 652 in the stretch of Tuljapur to Akkalkot of National Highway No 652 District: Dharashiv in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: Dharashiv (OSMANABAD)		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Tuljapur					
Village: Tuljapur					
1	195	Private	Dry	0.001 (Hectare)	0.001
2	202	Private	Dry	0.115 (Hectare)	0.115

Village: Hangarga					
3	52	Private	Dry	0.084 (Hectare)	0.084
Village: Tirth Bk.					
4	18	Private	Dry	0.002 (Hectare)	0.002
5	322	Private	Dry	0.056 (Hectare)	0.056
Village: Deosinga (Tul)					
6	115	Private	Dry	0.011 (Hectare)	0.011
7	116	Private	Dry	0.075 (Hectare)	0.075
8	174	Private	Dry	0.234 (Hectare)	0.234
9	175	Private	Dry	0.181 (Hectare)	0.181
10	179	Private	Dry	0.18 (Hectare)	0.18
11	181	Private	Dry	0.086 (Hectare)	0.086
Village: Baswantwadi					
12	121	Private	Dry	0.072 (Hectare)	0.072
Village: Chivari					
13	210	Private	Dry	0.057 (Hectare)	0.057
14	211	Private	Dry	0.029 (Hectare)	0.029
Total					1.183

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/55/3A]

ABHAY JAIN, Director